अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, बोकारो।

म्यूटेशन रिविजन वाद सं0—03/2018—19

क्रम सं0 तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रस्तुत वाद श्री जयनारायण सिंह, पिता श्री रामक्षपित सिंह, राजू सिंह, पिता श्री जयनारायण सिंह, दोनों निवास कुँवर सिंह कॉलोनी, चास, पोस्ट+थाना—चास, जिला बोकारो ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास के न्यायालय का नामान्तरण अपीलवाद संख्या 02/2017—18 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 16.03.2018 के विरूद्ध इस वाद को इस न्यायालय में लाया गया है।

विवादित भूमि का विवरण निम्नवत् हैः—

मौजा का नाम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
चास	30	405	6912	0.03 एकड़

प्रथम पक्ष का कहना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा संबंधित वाद में मेरे पक्षों को बिना सुने एकतरफा निर्णय लेते हुए अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है तथा अनुरोध किया गया है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित किये गये अंतिम आदेश दिनांक 16.03.2018 को खारिज करते हुए इस आदेश के साथ उक्त वाद में निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग करते हुए अंचल अधिकारी के माध्यम से डीड संख्या—9866, दिनांक 06.06.1969 को आधार मानते हुए 33 डिसमिल भूमि को मापी कराकर चिन्हित किया जाय एवं द्वितीय पक्ष के द्वारा किये गये आपत्ति के विरूद्ध WP(C) No. 4225 of 2007 (Bandhan Mahto Vrs State of Jharkhand & others की प्रति संलग्न की गयी है।

द्वितीय पक्ष का कथन है कि Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records Act 1973 की धारा 16 के तहत् म्यूटेशन रिविजन वाद में सुनवाई किये जाने की शक्ति अपर समाहर्त्ता, बोकारो को प्रदत्त नहीं है। उक्त वाद में सुनवाई की शक्ति उपायुक्त को है, इसलिए यह वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है तथा अपने वक्तव्य के समर्थन में Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records Act 1973 की धारा 16 की छाया प्रति एवं WP(C) No.-1436/2013 (Sanjay Kumar Vrs State of Jharkhand & others में पारित अंतिम आदेश की प्रति संलग्न की गयी है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जिला में म्यूटेशन रिविजन वाद में सुनवाई की शक्ति जिला दण्डाधिकारी को ही प्रदत्त है।

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 332/रा0, दिनांक 24.01.2020 में WP(C) No.-6335/2018 मो0 शकील अहमद एवं अन्य बनाम् झारखण्ड सरकार एवं अन्य से उद्भूत अवमाननावाद संख्या—Cont.(Civil) Case No.—489/2019 में पारित आदेश में अंकित Section-16 के अन्तर्गत Collector of District का उललेख किया गया है न कि Collector under this Act, इसका यह अभिप्राय है कि Section-16 अन्तर्गत Revision की सुनवाई करने का अधिकार मात्र Collector को है न कि Additional Collector अथवा Deputy Collector को है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
बोकारो।

अपर समाहर्त्ता,
बोकारो।

Digitally signed by MOHAMMAD MUMTAZ ANSARI
Date: 2024.12.30 12:35:17 +05:30
Location: 192.168.1.101